

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/एफ.24893/2023/ ५५

दिनांक : 11/01/2024

**आदेश**

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की अनुपालना में निम्नलिखित कनिष्ठ सहायकों को उनकी परिवीक्षा अवधि सन्तोषप्रद पूर्ण करने के फलस्वरूप उनके सम्मुख अंकित तिथि से रू. 20800 (लेवल-5) में उनका वेतन नियतन किया जाता है:-

क्र. स.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	प्रथम नियुक्ति तिथि	2 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि	कम्प्यूटर योग्यता RSCIT प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण तिथि
1	श्री मनीराम, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टमकोर, झुन्झुनू।	05.10.2021	05.10.2023	30.10.2021
2	श्री सौरभ शर्मा, कनिष्ठ सहायक	जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा।	07.10.2021	07.10.2023	08.08.2017
3.	निर्मला, कनिष्ठ सहायक	राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, मथानिया, जोधपुर।	28.09.2021	28.09.2023	05.03.2021
4.	श्री कल्पेश जोशी, कनिष्ठ सहायक	अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बाडमेर।	29.04.2021	29.04.2023	05.01.2019
5.	श्री सुनिल कुमार, कनिष्ठ सहायक	अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बाडमेर।	01.05.2021	01.05.2023	01.06.2013
6.	श्री दिनेश कुमार, कनिष्ठ सहायक	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सायला, जालौर।	04.10.2021	04.10.2023	01.06.2013
7.	श्री भगवती प्रसाद सोलंकी, कनिष्ठ सहायक	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जालौर।	17.06.2021	17.06.2023	22.12.2021

**नोट:-** उक्त कार्मिकों को उसके द्वारा टंकण परीक्षा उत्तीर्ण तिथि से वार्षिक वेतन वृद्धि का नकद लाभ देय होगा

(सुरेश नवल)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राज. जयपुर

दिनांक : 11/01/2024

क्रमांक :- ई-18/एम/परिवीक्षा/एफ.24893/2023/ ५५  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बाडमेर।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू/जालौर/जोधपुर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, जालौर।
4. चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, टमकोर, झुन्झुनू।
5. प्रभारी, राजकीय सैटेलाईट चिकित्सालय, मथानिया, जोधपुर।
6. जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, शाहपुरा।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
8. संबंधित कार्मिकों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

Document certified by SURESH NAWAL <add4ng@gmail.com>.

Digitized by Suresh NAWAL  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
Designation: Director  
Date :11-01-2024 01:54:37